रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269696
CG-DL-E-31012026-269696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947
No. 397] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 425(अ).— केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ढ) के पहले परन्तुक के खंड (iii) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii), तारीख 29 जुलाई, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3549 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कारखाने के कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता के रूप में समझा जाएगा, अर्थातः-

सारणी

अधिकारी का पदनाम और पता	कारखाने का नाम और पता
(1)	(2)
परियोजना प्रमुख, एसपीएल परियोजना पैलेट प्लांट काम्प्लेक्स, चोकावाडा- कस्तूरी, पोस्ट-नगरनार, जिला-बस्तर,	1. पैलेट संयंत्र, एनएमडीसी लिमिटेड एनएमडीसी इस्पात लिमिटेड के निकट ग्रामःचोकावाडा और कस्तूरी

जगदलपुर,छत्तीसगढ पिनः 494001	पोस्ट –नगरनार, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ, पिन-494001 2. बैलाडीला से नगरनार तक स्लरी पाइपलाइन प्रणाली (138 किमी लम्बाई), छत्तीसगढ़ 3. लौह अयस्क बेनिफिसियेशन संयंत्र, बचेली कॉम्प्लेक्स, ज़िला: दक्षिण बस्तर,दंतेवाड़ा पिन: 494553

[फा. सं. S-28016/5/2025-NMDC]

विनोद के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2026

S.O. 425(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel number S.O. 3549 (E), dated the 27th July 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th July 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officer specified in column (1) of the Table below to manage the affairs of the factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table who shall be deemed to be the occupier for the purposes of the said Act, namely :-

TABLE

Officer's designation and address	Name and address of factory.
(1)	(2)
Head of Project, SPL Project, Pellet Plant Complex, Chokawada-Kasturi, PO: Nagarnar, Jagdalpur, Chhattisgarh, PIN-: 494001.	1. Pellet Plant, NMDC Ltd., Near NMDC Steel Limited Plant Village: Chokawada and Kasturi PO- Nagarnar, Jagdalpur District Bastar, Chhattisgarh, PIN-494001 2. Slurry Pipeline System from Bailadila to Nagarnar, Chhattisgarh (138Km length) 3. Iron Ore Beneficiation Plant, Bacheli Complex, District: Dakshin Bastar, Dantewada, PIN: 494553

[F. No. S-28016/5/2025-NMDC]

VINOD K. TRIPATHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.31 16:48:36 +05'30'